पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/200
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–9] रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 मार्च, 2008 ई० (फाल्गुन 18, 1929 शक सम्वत्) [संख्या–

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	157–167	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	41–45	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति

नियुक्ति

21 फरवरी, 2008 ई०

संख्या 573/तीस–1–2008–25(16)/2004 टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा–2005 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल महोदय कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 के अधीन उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर वेतनमान रुपया 9000–250–10750–300–13150–350–14550/– में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखते है।

2–इन अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति पर उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में तैनात किया जाता है :–

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	तैनाती स्थान
1	2	3
01	श्री अम्बिका पन्त, पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद पन्त, 17–ए, बसंत विहार फेज–1, देहरादून, उत्तराखण्ड	हरिद्वार
02	श्री प्रदीप कुमार मणि, पुत्र श्री रेवती रमण मणि, ग्राम गोविन्दपुर, पो0–बेतालपुर, जिला देवरिया, उ0प्र0	खटीमा, जनपद–ऊधमसिंह नगर
03	श्री अरविन्द नाथ त्रिपाठी, पुत्र श्री पारसनाथ त्रिपाठी, मोहद्दीपुर पावर हाउस नहर के पूरब, पो0 कूड़ाघाट थाना–कैन्ट, जिला–गोरखपुर, उ0प्र0 पिन–273006	देहरादून
04	सुश्री प्रतिभा तिवारी, पुत्री श्री रमेश तिवारी, एन0–15/151, बी, सुदामापुर, पो0–बजरडिहा, वाराणसी, उ0प्र0, पिन–221010	ऊधमसिंह नगर
05	श्री कुलदीप शर्मा, पुत्र श्री दिनेश कुमार शर्मा, डी–7, अब्दुल्ला अपार्टमेंट, अब्दुल्ला महिला कॉलेज के पीछे, अलीगढ़, उ0प्र0	ऊधमसिंह नगर
06	सुश्री रीना नेगी, पुत्री श्री सतीश कुमार द्वारा शैल बाला नेगी, 22–ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड	हरिद्वार
07	श्री चन्द्रमणि राय, पुत्र श्री शारदा प्रसाद राय, 522/10, बेली कॉलोनी, स्टैनली रोड, इलाहाबाद, उ0प्र0	ऊधमसिंह नगर

1	2	3
08	श्री मनीष कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री वासुदेव पाण्डेय, ग्राम–फरेन्दहा, पो०–पथरदेवा, जिला–देवरिया, उ०प्र० पिन–274404	काशीपुर, जनपद–ऊधमसिंह नगर
09	श्री धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी, पुत्र श्री सी०एस० अधिकारी, 11–सी, पॉकेट ए–2, मयूर विहार, फेज–3, दिल्ली–110096	बागेश्वर
10	सुश्री अनुराधा गर्ग, पुत्री श्री रामनाथ गर्ग, म०नं०–201, प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर, उ०प्र० पिन–251002	रुड़की, जनपद–हरिद्वार
11	श्री विजय कुमार विश्वकर्मा, पुत्र श्री अच्छे लाल, ग्राम–पो०–तहसील मेहनगर, जिला आजमगढ, उ०प्र० पिन–276204	देहरादून
12	श्री विवेक द्विवेदी, पुत्र श्री रमेश द्विवेदी, एम०आई०जी०–90, शास्त्रीनगर कॉलोनी, गोरखनाथ रोड, गोरखपुर, उ०प्र० पिन–273015	हरिद्वार
13	सुश्री गीता रानी, पुत्री श्री शेषराज, मो० शेखुपुरा (आर्यायन), पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, कनखल, हरिद्वार, जनपद–हरिद्वार 249408	देहरादून
14	सुश्री मीना देउपा, पुत्री श्री मान सिंह देउपा, जी०आई०सी० वार्ड, डीडीहाट, पो०–डीडीहाट, जिला पिथौरागढ, उत्तराखण्ड पिन–262551	चम्पावत
15	सुश्री रजनी शुक्ला, पुत्री श्री पी०सी० शुक्ला, द्वारा श्री जे०पी० शर्मा, 2/4–बी, रामानन्द नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उ०प्र० पिन–211006	हरिद्वार
16	श्री सुधीर कुमार सिंह, पुत्र श्री कन्हैया सिंह, 74 आवास विकास कॉलोनी, बेतियाहाता (पूर्वी), गोरखपुर, उ०प्र० 273001	देहरादून
17.	सुश्री सविता चमोली, पुत्री श्री श्रीधरानन्द चमोली, म०नं०–29/पी० लाटोवाली, कनखल, हरिद्वार 249408	टिहरी गढ़वाल
18.	श्री मनीन्द्र मोहन पाण्डेय, पुत्र श्री चिरकुट पाण्डेय द्वारा श्री लाल जी सिंह, 41सी/1ए, शिवकुटी तेलियरगंज, इलाहाबाद, उ०प्र० पिन–211004	देहरादून
19.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, पुत्र श्री शिवशंकर सिंह, ग्राम–पो० चोचकपुर, जिला गाजीपुर, उ०प्र० पिन–233224	रुड़की, जनपद–हरिद्वार

1	2	3
20	श्री नीरज कुमार बक्शी, पुत्र स्व० श्री रामचन्द्र लाल बक्शी, राहुलनगर (तहसील के पीछे), तेतरी बाजार–सिद्धार्थनगर, उ०प्र० पिन–272207	हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल
21	श्री मनमोहन सिंह, पुत्र स्व० श्री लाल सिंह, मकान नं०–238, पश्चिमी अम्बर तालाब, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, पिन–247667	उत्तरकाशी
22	श्री मदन राम, पुत्र श्री जवाहर राम, द्वारा मदन राम पंचवाल, उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवाल, चमोली, उत्तराखण्ड, पिन–246427	रुद्रप्रयाग
23	श्री मुकेश चन्द्र आर्य, पुत्र स्व० श्री हरीशचन्द्र आर्य, शैल, पातालदेवी अल्मोड़ा, निकट वीरशिवा स्कूल, पो० एवं जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, पिन–263601	पिथौरागढ़
24	श्री दीपक आर्य, पुत्र श्री भवानी राम, ए–30, सेकिण्ड फ्लोर, हरिनगर, नई दिल्ली–110064	चम्पावत
25	श्रीमती मंजु सिंह, पत्नी श्री ओम प्रकाश सिंह, मुकेश ऑटो सेन्टर, मकान नं०–390/280, बी०एच०एल० रोड, कैतवाड़ा, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	नरेन्द्रनगर, जनपद–टिहरी गढ़वाल
26	श्री रमेश सिंह, पुत्र श्री रामकिशन दिवाकर, मोहल्ला–कटोराताल, पठानों वाली गली, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड	हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल
27	सुश्री संगीता रानी, पुत्री श्री नन्द किशोर, 18–दर्शनीगेट, देहरादून, उत्तराखण्ड	रुड़की, जनपद–हरिद्वार
28	श्री अरुण बोहरा, पुत्र श्री कलीराम, 182, अम्बेडकर नगर, बी०एल० रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन–248001	पौड़ी गढ़वाल

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

गृह विभाग

अधिसूचना

(शक्ति)

22 फरवरी, 2008 ई०

संख्या 285/XX(2)-109/वि०वि०परी०/2004-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित मुख्य परीक्षाओं के लिये, जनपद चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून व हरिद्वार के समस्त परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्षों को 15 मार्च, 2008 से मई, 2008 के अन्तिम सप्ताह तक की अवधि के लिए सहर्ष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों की सीमा के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं, जिनका वे उन परीक्षा केन्द्रों की सीमा के अन्तर्गत क्षेत्रों में उपयोग कर सकेंगे, जिनके वे केन्द्राध्यक्ष हैं।

आज्ञा से,

एन० एस० नपलच्याल,
प्रमुख सचिव, गृह।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 285/XX(2)-109/Exam/2004,** dated February 22, 2008 for general information :

NOTIFICATION

(Power)

February 22, 2008

No. 285/XX(2)-109/Exam/2004--In exercise of the powers under section 21 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint the Superintendents of all the Examination Centres in the District Chamoli, Pauri Garhwal, Rudraprayag, Uttarkashi, Tehri Garhwal, Dehradun and Hardwar, for the Main Examinations being conducted by Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand as Executive Magistrates, who shall be called Special Executive Magistrates and confer all such powers on them as may be conferred on Executive Magistrates under the Code for the period beginning 15 March, 2008 to the last week of May 2008, which they may use within the area of Examination Centres of which they are Superintendents.

By Order,

N. S. NAPALCHYAL,
Principal Secretary, Home.

आवास विभाग

अधिसूचना

22 फरवरी, 2008 ई०

संख्या 357/V-आ०-2007-26(न०वि०)/01-अधिसूचना सं० 2343/V-आ०-2007-26(न०वि०)/01, दिनांक 23-11-2007 को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 की धारा 15(क)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत वाद/अपील/निगरानी एवं विविध मामलों में सुनवाई हेतु श्री सौरभ जैन, अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अधिकृत किया जाता है, साथ ही उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजक और विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 की धारा 41(3), उत्तराखण्ड (उत्तर

प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 की धारा 38(3) तथा अन्य विभिन्न विविध प्रावधानों के अन्तर्गत शासन को प्रस्तुत अपील/निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई हेतु भी श्री सौरभ जैन, अपर सचिव, आवास को राज्य सरकार की ओर से निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

2—श्री सौरभ जैन, अपर सचिव, आवास विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य सरकार में आवास विभाग के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न विधिक प्रकरणों में सुनवाई के पश्चात् यथा आवश्यकता स्थगनादेश एवं अन्तिम आदेश पारित करेंगे।

भवदीय,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग—2

अधिसूचना

29 फरवरी, 2008 ई०

संख्या 488/VII—II—08/08—उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को और अधिक बढ़ावा दिये जाने व औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किये जाने एवं राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने तथा समन्वित एवं सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु श्री राज्यपाल महोदय दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति—2008 निम्नानुसार प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1—उद्देश्य (Objective) :

इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े व सुदूर पर्वतीय जनपदों में औद्योगिक विकास की गति देने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में उद्यमिता विकास, औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उद्यमों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को विपणन प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ—साथ पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन दूर कर जनशक्ति के पलायन को रोका जाना सम्भव हो सकेगा। पर्वतीय विषम भौगोलिक स्थिति, पर्यावरणीय एवं सामाजिक परिवेश तथा उपलब्ध संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस पृथक औद्योगिक नीति में समन्वित एवं समूह आधारित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये विनिर्माणक/उत्पादक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को चिन्हित (identified) करते हुए अनुदान/प्रोत्साहन सुविधाओं की अनुमन्यता की सीमा व मात्रा निर्धारित की गई है। विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :—

1. हरित तथा नारंगी श्रेणी के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्योग।

2. भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों में शामिल गतिविधियां।

3. प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियां, यथा कुक्कुट पालन तथा पर्यटन गतिविधियां।

4. पूर्वोत्तर राज्यों के लिये घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज—2007 में सम्मिलित सेवा क्षेत्र व अन्य सेक्टर की निम्न गतिविधियां :—

(1) सेवा क्षेत्र—

(i) होटल, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल तथा रोप—वे।

(ii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओंयुक्त नर्सिंग होम।

(iii) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यथा—होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड फूड क्राफ्ट, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, नागरिक विमानन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाइनिंग तथा औद्योगिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण।

(2) जैव प्रौद्योगिकी (Bio-technology Industry)।

5. संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी (Protected Agriculture/Poly House), कोल्ड स्टोरेज आदि गतिविधियां।

6. पैट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदाम।

2–दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों का वर्गीकरण :

इस नीति में एकीकृत औद्योगिक वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की अनुमन्यता के लिए योजना में आच्छादित पर्वतीय क्षेत्रों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :–

श्रेणी (Category)-ए :

प्रदेश के सीमान्त एवं सुदूरवर्ती जनपद तथा उन जनपदों को सम्मिलित कर बनाये गये नवसृजित जनपद, जिनमें जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग का सम्पूर्ण भू–भाग सम्मिलित है।

श्रेणी (Category)-बी :

जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर का सम्पूर्ण भू–भाग तथा देहरादून के विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकास खण्ड को छोड़कर व जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकास खण्ड को छोड़कर इन जनपदों के अन्य सभी पर्वतीय क्षेत्र बहुल विकास खण्ड भी इस श्रेणी में सम्मिलित होंगे।

3–योजना की वैधता अवधि :

यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त होकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक, जब तक अन्यथा संशोधित न हो, लागू रहेगी।

4–योजना से व्यवहृत इकाईयां एवं पात्रता क्षेत्र :

योजना लागू होने के पश्चात् स्थापित ऐसे अभिज्ञात नये विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों, जिन्होंने अपने उद्यम की स्थापना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् की हो, तथा उद्यम की स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र अथवा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से उद्यमिता ज्ञापन–पत्र/अनुज्ञा–पत्र/वांछित पंजीकरण प्राप्त किया हो, को पैकेज के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं/रियायतों का लाभ प्राप्त होगा। स्थापित उद्यम के विस्तार एवं आधुनिकीकरण पर ये सुविधायें प्राप्त नहीं होंगी।

5–विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजना नीति में प्रदत्त प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन एवं अन्य छूट (Fiscal and Concessional Incentives) :

विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन योजना नीति में प्रदत्त प्रमुख अनुदान सुविधाओं/रियायतों तथा प्रोत्साहनों का विवरण निम्नवत् है :–

(1) भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन योजना :

(i) राज्य सरकार द्वारा विकसित मिनी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में वांछित अवस्थापना एवं सामान्य सुविधाओं, विद्युत, सड़क, जलापूर्ति, नालियों व सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य पूर्ण कर विनिर्माणक/उत्पादक क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को भूमि का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

(ii) राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में भूखण्ड लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर लीज डीड/सेल डीड के निबन्धन में स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्णतया छूट दी जायेगी।

(iii) यदि कोई उद्यमी निजी औद्योगिक आस्थान/मेगा प्रोजेक्ट/विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिये औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से बाहर सीधे स्वयं भूमि क्रय करता है, तो भूमि के क्रय विलेख–पत्र के निबन्धन में स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्णतया छूट दी जायेगी।

(iv) उद्यमी द्वारा क्रय की गई भूमि के भू–उपयोग के परिवर्तन को सुगम एवं सरल बनाया जायेगा।

(v) औद्योगिक आस्थानों के रख–रखाव हेतु सहकारी समितियों के गठन के लिये उद्यमियों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा। यदि आस्थान के रख–रखाव हेतु आस्थान के उद्यमी सहकारी समिति का गठन करते हैं, तो समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये अंशपूंजी के अनुपात (5 गुना) में रु० 15 लाख तक की धनराशि एकमुश्त Grant-in-aid के रूप में दी जायेगी, जिसको समिति द्वारा बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया जायेगा और इस प्रकार किए गए फिक्स डिपॉजिट पर अर्जित होने वाले ब्याज की धनराशि का उपयोग आस्थान के रख–रखाव हेतु किया जायेगा।

(vi) पर्वतीय क्षेत्र में निजी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिये भूमि की न्यूनतम सीमा 2 एकड़ होगी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित रूप से अधिसूचित बंजर, असिंचित भूमि अथवा अन्य उपलब्ध स्थानों पर निजी सार्वजनिक सहभागिता में निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(vii) निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों तथा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना में अवस्थापना सुविधाओं जैसे–विद्युत व्यवस्था, जलापूर्ति, सड़क, सम्पर्क मार्ग, नालियों के निर्माण आदि में होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत धनराशि, अधिकतम रु० 50 लाख अनुदान के रूप में औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों को अनुदान स्वरूप दी जाएगी।

(2) विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता :

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1644/VII/98–उद्योग/2005, दिनांक 13 जून, 2005 से दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों के लिये क्रियान्वित विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता योजना को इस योजना में सम्मिलीन (Merge) करते हुए दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् स्थापित होने वाले नये पात्र उद्यमों को कार्यशाला भवन के निर्माण, मशीनरी, संयंत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूंजी निवेश पर निम्नवत् विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी:–

(i) श्रेणी–ए के जनपद/क्षेत्र में कुल अचल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत (अधिकतम रु० 30 लाख),

(ii) श्रेणी–बी के जनपद/क्षेत्र में कुल अचल पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम रु० 25 लाख)।

(3) विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता :

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1040/औ०वि०/ब्या०प्रो०स०–7/2004–169 उद्योग, दिनांक 24 मई, 2004 के अन्तर्गत दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज दर में 5 प्रतिशत, अधिकतम रु० 3 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता दिये जाने का प्राविधान है। यह योजना 31 मार्च, 2008 को समाप्त हो रही है।

प्रदेश के दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में दिनांक 1–4–2008 के पश्चात् भी ब्याज प्रोत्साहन सहायता निम्न प्राविधानों के साथ लागू रहेगी :–

(i) श्रेणी–ए के जनपदों में वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण पर देय सामान्य ब्याज की कुल दर पर 6 प्रतिशत की सीमा तक, अधिकतम रु० 5 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष तथा श्रेणी–बी के जनपदों/क्षेत्रों में सामान्य ब्याज की कुल दर पर 5 प्रतिशत की सीमा तक, अधिकतम रु० 3 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता के रूप में दी जायेगी।

(ii) विनिर्माणक/उत्पादक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के सभी उद्यमों/चिन्हित गतिविधियों को ब्याज प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगी।

(4) नये उद्यमों को विद्युत बिलों में छूट :

(अ) सभी अनुमन्य गतिविधियों के लिये 10 वर्ष तक विनिर्माणक उद्यमों में उत्पादन एवं कार्यालय तथा सेवा क्षेत्र सम्बन्धी उद्यमों में सेवा इकाई एवं कार्यालय में खपत होने वाली विद्युत के बिलों के भुगतान में 100 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जा सकती है।

(ब) होटल/मोटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, स्टील रोलिंग मिल्स, इलेक्ट्रिक फर्नेस तथा अन्य इकाइयां जो अधिक बिजली खपत करती हैं, इस छूट की पात्र नहीं होंगी।

(स) इस प्राविधान के अन्तर्गत फल संरक्षण एवं जड़ी–बूटी आधारित उद्योगों एवं स्थानीय उत्पादों को महत्व दिया जायेगा। स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा प्रदूषण रहित उद्योगों को आकर्षित किया जायेगा।

(5) विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर (VAT) की प्रतिपूर्ति :

योजनान्तर्गत सभी अनुमन्य गतिविधियों में देय मूल्य वर्धित कर (VAT) की प्रतिपूर्ति श्रेणी–ए के जनपदों में कुल कर देयता के 90 प्रतिशत तथा श्रेणी–बी के जनपदों में 75 प्रतिशत की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(6) विशेष राज्य परिवहन उपादान सहायता :

भारत सरकार की केन्द्रीय परिवहन उपादान योजना–1972 के अन्तर्गत प्रदेश के पहाड़ी जिलों में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को इकाई को कार्य स्थल से निकटतम रेल शीर्ष से कच्चामाल लाने तथा तैयार माल को बाहर भेजने पर किये गये परिवहन व्यय में 75 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक केन्द्रीय परिवहन उपादान की सुविधा उपलब्ध है।

पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादित कच्चेमाल के आन्तरिक परिवहन में होने वाली लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति (Compensate) के लिये ऐसी इकाईयों को उनके कुल सालाना बिक्री (Annual Turn Over) के आधार पर "ए" श्रेणी के जनपद में वार्षिक Turn Over का 5% के एवं "बी" श्रेणी के जनपदों में 3% अनुदान सहायता दी जायेगी। इकाई की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) की पुष्टि व्यापार कर विभाग में दाखिल Return तथा सत्यापन रिपोर्ट से की जायेगी।

(7) मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन :

प्रदेश की औद्योगिक नीति–2003 में मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनमें 50 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हो, को विशेष सुविधाएं दिए जाने का प्राविधान किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र के लिये मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु अचल पूंजी निवेश की न्यूनतम सीमा रु0 5 करोड़ निर्धारित करते हुए केवल अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इन मेगा प्रोजेक्ट्स को राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाएं/छूट पात्रता के अनुसार अनुमन्य होंगी।

(8) उद्यमिता विकास, प्रशिक्षण, अध्ययन एवं सर्वेक्षण :

(i) उद्यमिता कौशल में वृद्धि एवं विकास तथा तकनीकी जनशक्ति प्रशिक्षण के लिए स्थानीय लोगों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण देकर उद्योगों की मानव शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तथा स्वतः उद्यम की स्थापना को अभिप्रेरित किया जायेगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों/विश्वविद्यालयों से उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण के लिए समन्वय एवं सामन्जस्य स्थापित किया जायेगा। यदि क्षेत्र में किसी विशेष सर्वेक्षण व अध्ययन की आवश्यकता हुई तो वह भी इस मद से किया जायेगा।

(ii) कौशल विकास (Skill Development) प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण के लिए उद्यमिता कौशल विकास संस्थान की स्थापना हेतु निजी संस्थाओं की सहगामिता को प्रोत्साहित किया जायेगा। यदि संस्थाएं कौशल विकास प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा मशीनरी व टूल्स की स्थापना संस्थान में करती हैं, तो इस मद में किये गये व्यय पर राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष एकीकृत वित्तीय प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदत्त उपादान व अन्य सुविधाओं का लाभ इन संस्थाओं को दिया जायेगा। उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के लिये Bench Marking System के आधार पर प्रशिक्षण के कौशल का स्तर निर्धारित एवं मान्य (Accredited) होने पर ही वित्तीय सहायता/सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा। साथ ही ऐसी औद्योगिक इकाईयों/अशासकीय संस्थाओं (NG) के स्किल डेवलपमेन्ट कार्यक्रमों को भी सहायता दिये जाने पर विचार किया जायेगा, जो अपने उपक्रमों/संस्थाओं में अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे। उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधन आधारित उद्यम विकास के लिये विशिष्ट तकनीकी संस्थाओं से सहायता ली जायेगी एवं आवश्यकतानुसार शोध, अध्ययन एवं सर्वेक्षण विशेषज्ञ संस्थाओं से कराये जायेंगे।

(9) स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन :

1–पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सामान्य सुविधाओं (Common Facilities) की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चुने हुए स्थानों पर औद्योगिक कार्यशाला को सामान्य सुविधा केन्द्र (Common Facilities Centre) के रूप में संचालित किया जायेगा। केन्द्र के संचालन के लिये प्रोपराईटरी, फर्म, कम्पनी अथवा संस्था के लिये प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। केन्द्र द्वारा स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित यथा–चीड़ की पत्ती, रामबांस व अन्य फाईबर, फल व शाक–सब्जी, जड़ी–बूटी इत्यादि के प्रशोधन, प्रसंस्करण तथा भण्डारण आदि के लिये शोध एवं विकास (Research & Development) करने पर सहायता प्रदान की जायेगी तथा स्थानीय उपलब्ध कच्चेमाल, यथा–फल व शाक–सब्जी, जड़ी–बूटी इत्यादि के भण्डारण, प्रसंस्करण तथा डिब्बाबन्दी के कार्य प्रोत्साहित किये जायेंगे। क्षेत्र में स्थापित इकाईयों के उत्पादों के विपणन में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा। ऐसी संस्था/केन्द्र द्वारा स्थानीय कच्चेमाल के वैज्ञानिक विदोहन की विधि में होने वाले व्यय पर वन अनुसंधान केन्द्र, सी०एस०आई०आर०, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थानों से तकनीकी परामर्श/सेवा आदि प्राप्त करने पर जो व्यय होगा, उसकी 75 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति परामर्श उपादान के रूप में की जायेगी। इसके साथ ही इन सामान्य सुविधा केन्द्रों द्वारा विपणन सहयोगी संस्था के रूप में उद्यमियों को Forward Linkage भी प्रदान किया जायेगा।

2–औद्योगिक नीति–2003 में वित्तीय प्रोत्साहनों के अन्तर्गत राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय अनुमोदित संस्थाओं से गुणवत्ता चिन्हांकन तथा आई०एस०ओ० प्रमाणीकरण पर किये गये व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रु० 2 लाख, प्रतिपूर्ति अनुदान सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है। वर्तमान में यह सुविधा केवल आई०एस०ओ० प्रमाणीकरण एवं पेटेन्ट पर दी जा रही है। अतः उक्त नीति के तहत आई०एस०ओ० प्रमाणीकरण के अतिरिक्त उत्पाद की गुणवत्ता तथा मानकीकरण हेतु औद्योगिक इकाईयों द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आई०एस०आई० चिन्हांकन, क्वालिटी मार्किंग, बी०आई०एस०, एफ०पी०ओ० लाईसेन्स, ट्रेड मार्क एवं कापी राइट पंजीकरण आदि प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय के 75 प्रतिशत, अधिकतम रु० 1 लाख की धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुदान स्वरूप प्रदान की जायेगी।

(10) विपणन प्रोत्साहन सहायता :

1–उद्यमियों को उनके उत्पादन के विपणन संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय, प्रदेशीय तथा जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने हेतु निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर स्टॉल उपलब्ध कराये जायेंगे।

2–प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के शिल्पियों/उद्यमियों को अपने उत्पाद के विपणन हेतु राष्ट्रीय, प्रदेशीय तथा जिला स्तरीय मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने हेतु जनपद से बाहर यात्रा करने पर यात्री किराये भाड़े की प्रतिपूर्ति तथा माल परिवहन में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

3–राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय एवं सुदूर क्षेत्रों में स्थापित विनिर्माणक/उत्पादक औद्योगिक इकाईयों को राजकीय क्रय में मूल्य वरीयता में 10 प्रतिशत मूल्य वरीयता प्रदान की जायेगी।

(11) वित्तीय प्रोत्साहन सहायता की मात्रा :

1–सभी पूंजी उपादान योजनाओं का लाभ इस प्रकार दिया जायेगा कि सभी प्रकार के पूंजी व विशेष पूंजी उपादानों से मिलने वाले कुल अनुदान की धनराशि इकाई में लगे अचल पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत (अधिकतम रु० 60 लाख) से अधिक नहीं होगी।

2–प्रदेश के स्थाई एवं मूल निवासियों को उद्यम की स्थापना पर सभी अनुमन्य सहायतायें श्रेणी–ए के जनपदों में अनुमन्य अधिकतम सीमा तक बिना इस बात के कि उनकी इकाई श्रेणी–ए अथवा श्रेणी–बी के जनपद में स्थापित है, अनुमन्य होगी।

(12) योजना के अनुमोदन तथा प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति की प्रक्रिया :

1–पर्वतीय व सुदूर क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण एवं सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप औद्योगिक विकास को गति प्रदान के दृष्टिगत स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं की समय–समय पर समीक्षा, उनमें वांछित संशोधन/संवर्द्धन तथा आवश्कतानुसार नवीन सुविधाओं/उपायों को योजना में सम्मिलित करने तथा उनके क्रियान्वयन हेतु पैकेज की मूल भावना एवं उद्देश्यों के अनुरूप मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति विचार कर समुचित निर्णय लेगी।

2- अनुमोदित योजनाओं / परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति के लिये जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र को भी प्राधिकृत किया जायेगा।

3- विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदत्त अनुदान सुविधाओं / रियायतों एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहनों से सम्बन्धित विस्तृत दिशा निर्देश (Guidelines) तैयार कर जारी करने के लिये औद्योगिक विकास विभाग को अधिकृत किया जायेगा।

(13) इस नीति के प्रस्तर 1 के अन्तर्गत उल्लिखित गतिविधियों / विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित उद्यमों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

पी0 सी0 शर्मा

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 हिन्दी गजट / 198 भाग 1 2008 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या यू०ए०/डी०एन० 30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 मार्च 2008 ई० (फाल्गुन 18, 1929 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

February 19, 2008

No. 11/UHC/Admin.A/2008--Hon'ble Shri Justice Prafulla Chandra Pant, Additional Judge of the High Court of Uttarakhand has assumed charge of office of Judge of the Uttarakhand High Court on 19th February, 2008 at 10.15 A.M. *vide* Notification No. K-13032/1/2007-US.II dated 15.02.2008 issued by Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice).

February 19, 2008

No. 12/UHC/Admin.A/2008--Hon'ble Shri Justice Brahma Singh Verma, Additional Judge of High Court of Uttarakhand has assumed charge of office of Judge of the Uttarakhand High Court on 19th February, 2008 at 10.15 A.M. *vide* Notification No. K-13032/1/2007-US.II dated 15.02.2008 issued by Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice).

February 19, 2008

No. 13/UHC/Admin.A/2008--Hon'ble Shri Justice Dharam Veer, Additional Judge of High Court of Uttarakhand has assumed charge of office of Judge of the Uttarakhand High Court on 19th February, 2008 at 10.15 A.M. *vide* Notification No. K-13032/1/2007-US.II dated 15.02.2008 issued by Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice).

Sd/-
V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 21, 2008

No. 14/UHC/Admin.A/2008--Sri Om Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Vikasnagar, District Dehradun in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 15/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX(1)/2008-25(16)/2004 T.C. dated 21.02.2008, Sri Dharmendra Singh Adhikari is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 16/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Ms. Meena Deopa, is posted as Judicial Magistrate I Class, Champawat, in the vacant Court. She is appointed in the said Court U/S 11(2) of Code of Criminal Procedure, 1973.

February 21, 2008

No. 17/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Deepak Arya, is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Champawat, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 18/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Arvind Nath Tripathi, is posted as Judicial Magistrate-I, I Class, Dehradun, in the vacant Court. He is appointed in the said Court U/S 11(2) of Code of Criminal Procedure, 1973.

February 21, 2008

No. 19/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C.,dated 21.02.2008, Sri Vijay Kumar Vishwakarma, is posted as Judicial Magistrate-II, I Class, Dehradun, in the vacant Court. He is appointed in the said Court U/S 11(2) of Code of Criminal Procedure, 1973.

February 21, 2008

No. 20/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Ms. Geeta Rani, is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 21/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Sudhir Kumar Singh, is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 22/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Manindra Mohan Pandey, is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 23/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Ambika Pant, is posted as Judicial Magistrate,I Class, Hardwar, in the vacant Court. He is appointed in the said Court U/S 11(2) of Code of Criminal Procedure, 1973.

February 21, 2008

No. 24/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notificabon No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Ms. Reena Negi, is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 25/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Vivek Dwivedi, is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 26/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Ms. Rajni Shukla, is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 27/UHC/Admin.A/2008–Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Ms. Anuradha Garg, is posted as Civil Judge (Jr. Div.),Roorkee, Distt. Hardwar, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 28/UHC/Admin.A/2008–Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Dharmendra Kumar Singh, is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, Distt. Hardwar, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 29/UHC/Admin.A/2008–Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Ms. Sangeeta Rani, is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, Distt. Hardwar, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 30/UHC/Admin.A/2008–Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Neeraj Kumar Bakshi, is posted as Judicial Magistrate,I Class, Haldwani, Distt. Nainital, in the vacant Court. He is appointed in the said Court U/S 11(2) of Code of Criminal Procedure, 1973.

February 21, 2008

No. 31/UHC/Admin.A/2008–Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Ramesh Singh, is posted as Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, Distt. Nainital, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 32/UHC/Admin.A/2008–Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Arun Bohra, is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Pauri Garhwal, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 33/UHC/Admin.A/2008–Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Mukesh Chandra Arya, is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragarh, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 34/UHC/Admin.A/2008–Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Madan Ram, is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 35/UHC/Admin.A/2008–Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Ms. Savita Chamoli, is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 36/UHC/Admin.A/2008–Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Smt. Manju Singh Munde, is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Narendra Nagar, Distt. Tehri Garhwal, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 37/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Ms. Pratibha Tiwari, is posted as Judicial Magistrate I Class, Udhamsingh Nagar, in the vacant Court. She is appointed in the said Court U/S 11(2) of Code of Criminal Procedure, 1973.

February 21, 2008

No. 38/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Kuldeep Sharma, is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udhamsingh Nagar, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 39/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Chandramani Rai, is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udhamsingh Nagar, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 40/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Pradeep Kumar Mani, is posted as Additional Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, Distt. Udhamsingh Nagar, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 41/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Manish Kumar Pandey, is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, Distt. Udhamsingh Nagar, in the vacant Court.

February 21, 2008

No. 42/UHC/Admin.A/2008--Pursuant to the Government of Uttarakhand Notification No. 573/XXX-1-2008-25(16)/2004 T.C., dated 21.02.2008, Sri Manmohan Singh, is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi, in the vacant Court.

By Order of the Court,

Sd./-

V. K. MAHESHWARI,

Registrar General.

February 21, 2008

No. 43/UHC/Admin.A/2008--Sri Pradeep Pant, Judge, Family Court, Nainital, who is also holding additional charge of the Court of Addl. District Judge/1st F.T.C., Nainital, is transferred and posted as Joint Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital, on the vacant post.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd./-

V. K. MAHESHWARI,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

February 28, 2008

No. 45/UHC/Admin.A/2008--Sri Sayan Singh, Special Judicial Magistrate (C.B.I.), Dehradun is promoted and posted as 1st Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun in the pay scale of Rs. 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550 in the vacant Court.

February 28, 2008

No. 46/UHC/Admin.A/2008--Km. Monika Mittal, Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is promoted and posted as Additional Civil Judge (Sr. Div.), Nainital in the pay scale of Rs. 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550 in the vacant Court.

February 28, 2008

No. 47/UHC/Admin.A/2008--Smt. Neelam Ratra, Judicial Magistrate, Kashipur, Distt. Udhamsingh Nagar is promoted and posted as Additional Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar in the pay scale of Rs. 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550 in the vacant Court.

February 28, 2008

No. 48/UHC/Admin.A/2008--Sri Rajeev Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Ramnagar, Distt. Nainital is promoted and posted as Additional Chief Judicial Magistrate, Kashipur, Distt. Udhamsingh Nagar in the pay scale of Rs. 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550 in the vacant Court.

February 28, 2008

No. 49/UHC/Admin.A/2008--Smt. Anjushree Juyal, Civil Judge (Jr. Div.), Udhamsingh Nagar is promoted and posted as Additional Chief Judicial Magistrate (Railway), Haldwani, Distt. Nainital in the pay scale of Rs. 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550 *vice* Sri Varun Kumar, who is holding additional charge.

February 28, 2008

No. 50/UHC/Admin.A/2008--Smt. Pritu Sharma, Civil Judge (Jr. Div.), Almora is promoted and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Almora in the pay scale of Rs. 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550 in the vacant Court.

CORRIGENDUM

February 28, 2008

No. 51/UHC/Admin.A/2008--In this Court's Notification No. 47/UHC/Admin. A/2008, dated 28.02.2008, the words "Additional Civil Judge (Sr. Div.)" be read as "Assistant Sessions Judge [Civil Judge (Sr. Div.)]/Fast Track Court".

By Order of the Court,

Sd./-
V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

NOTIFICATION

February 29, 2008

No. 52/UHC/Admin.A/2008--It is hereby notified that the following matters shall be listed before Sri Pradeep Pant, Joint Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital, in the Chambers at 02.00 P.M.

1. Disposal of matters relating to service of notices and processes.
2. To admit and issue necessary orders in and to dispose of uncontested applications.
3. To dispose of uncontested applications under Order XXII C.P.C.
4. To extend time for counter or rejoinder.
5. To dispose of a contested application for impleading the legal representative of a deceased party.
6. To receive and dispose of an application for the withdrawal of an appeal or for a consent decree or order.
7. To receive and dispose of an application for the return of a document.
8. To receive and dispose of an application under Sub-rule (1) of Rule 5 or Rule 6, 8 or 10 of Order XLI of the Code.

It is further notified that the Joint Registrar may extend time for filing counter and rejoinder affidavits in the first instance by about 4 to 6 weeks and thereafter 2 or 3 extensions at the most for the same durations. The Joint Registrar shall note and record in brief the reasons while passing the orders, granting extension(s), but extension shall only be granted if the parties applying to and praying for the extension(s), satisfy the Joint Registrar of the reasons for doing so.

After the grant of 2 or 3 extensions, as the case may be, the Joint Registrar shall have no jurisdiction to deal with the matter. The matter thereafter shall be posted before the Court for passing appropriate orders.

Daily Cause List of the Joint Registrar shall also be published specifying the time of sitting.

It shall be effective from 03.03.2008

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd./-
V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 10 हिन्दी गजट / 198–भाग 1–क–2008 (कम्प्यूटर / शीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।